इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 अगस्त 2021—श्रावण 22, शक 1943

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर , जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश

खण्डवा, दिनांक 9 अगस्त 2021

अधि. क्र. 377.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37, सन् 1961) की धारा 5(1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी में वर्णित ग्राम पंचायतों के ग्रामों को मिलाकर नगर परिषद् पुनासा का गठन करती है.

सारणी में दर्शित सम्मिलित क्षेत्रों को अधिकारिता रखने वाला स्थानीय प्राधिकारी या इसमें निवास करने वाला कोई व्यक्ति यदि इसमें अंतर्विष्ट किसी बात के संबंध में आपत्ति रखता है तो इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर में अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव कलेक्टर, जिला खण्डवा को प्रस्तावित कर सकता हैं जिस पर राज्य शासन द्वारा विचार किया जायेगा:—

सारणी

क्र. (1)	जिला (2)	तहसील (3)	ग्राम पंचायत का नाम (4)	सम्मिलित क्षेत्र/ग्रामों का विवरण (5)
1	खण्डवा	पुनासा	(1) ग्राम पंचायत, पुनासा	(1) पुनासा
2	खण्डवा	पुनासा	(2) ग्राम पंचायत, दामखेड़ा कला	(1) दामखेड़ा कला
				(2) दामखेड़ा खुर्द
				(3) उदयपुर
3	खण्डवा	पुनासा	(3) ग्राम पंचायत, दौलतपुरा	(1) दौलतपुरा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनय द्विवेदी, कलेक्टर.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.